राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई–मेलः dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः–प.2(क)( )जॉच/डीएलबी/19/3268 दिनांकः 06-12-2019

–: आदेश :–

श्री राजाराम गुर्जर सभापति नगर परिषद करौली के विरूद्ध पद का दुरूपयोग एवं दुराचरण करने के संबंध में आयुक्त नगर परिषद करौली से प्राप्त टिप्पणी एवं जिला पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त अभियोग संख्या 414/2019 धारा 323, 189, 384 आई.पी.सी. थाना कोतवाली जिला करौली की तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित माना गया है। श्री राजाराम गुर्जर सभापति नगर परिषद करौली का उक्त कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1)(घ) के अन्तर्गत दुराचरण की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि श्री राजाराम गुर्जर सभापति नगर परिषद करौली के विरूद्ध आरोप गम्भीर प्रकृति के है एवं उनके सभापति पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की सम्भावना है। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा श्री राजाराम गुर्जर सभापति नगर परिषद करौली को सभापति एवं सदस्य नगर परिषद करौली के पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

उज्जवल राठौड़
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः–प.2(क)( )जॉच/डीएलबी/19/3269-3278 दिनांकः 06-12-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।
02. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, करौली।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
07. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय, को भेजकर लेख है कि प्रकरण में केवियट दायर करावें।
08. आयुक्त नगर परिषद, करौली।
09. श्री राजाराम गुर्जर सभापति नगर परिषद करौली।
10. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

उज्जवल राठौड़
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

Scanned by CamScanner